न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 22/2012

1. श्री किशन पुत्र रघुनाथ जाति दरोगा निवासी शोकलिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पुत्र गिरधारी।
2. श्री रामचंद्र पुत्र गिरधारी।
3. श्री रामकुंवार पुत्र रामचंद्र।
4. श्री रतन पुत्र रामचंद्र।
5. श्री लालचंद पुत्र रामचंद्र।
6. श्री रामप्रसाद पुत्र मनरूप।
7. श्री रामनिवास पुत्र छोटू।

समस्त जातिगण जाट, निवासीगण शोकलिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम शोकलिया तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

विवरण आराजीयात

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
274	1233	03—18—00	चाही प्रथम

यह कि वर्णित आराजीयात के उत्तरी ओर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी कब्जे स्वामित्व का खेत स्थित है। प्रार्थी ने अपने खेत के चारों ओर कांटो की बाड़ लगा रखी है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत में मध्य पानी का धोरा बना हुआ है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के उक्त खेत के उत्तरी ओर लगी कांटो की बाड़ को हटाकर कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहते है। मई 2010 में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त कांटो की बाड़ को हटाकर लडाई—झगडा कर मारपीट की जिसका मुकदमा सं. 105/2011 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ के न्यायालय में विचाराधीन है। यह की अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व की वाद वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त स्वामित्व में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे, किसी प्रकार से बेदखल नहीं करे। यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम शोकलिया संवत् 2061—2064
- सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम शोकलिया संवत् 2061—2064
- सत्य प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम शोकलिया संवत् 2068
- सत्य प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस ग्राम शोकलियां

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित है। कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.18 16:43:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: